

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2020

1. दिनांक 22.11.20 को वादी श्री रामजनम यादव पुत्र स्व० स्वामी नाथ नि० पुरूषोत्तम पट्टी मनियर जनपद बलिया द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 30 एटी 9680 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बस में टक्कर मार देना जिससे बस क्षतिग्रस्त हो जाना तथा बस में बैठे यात्री का घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 781/20 धारा 279, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 22.11.20 को वादी श्री अतुल पाण्डेय नि० धर्मदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुशील कुमार पुत्र स्व० राम चन्दर नि० धर्मदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 04 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 637/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 22.11.20 को वादी श्री हृदयराम यादव वन संरक्षक बीट प्रभारी बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लक्ष्मण निषाद पुत्र ओरौनी निषाद नि० भावापुर नेवादा थाना को०बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा जामुन का पेड़ बिना अनुमति के काट कर उठा ले जाना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 783/20 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० व 3/28 ट्रांजिट अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 22.11.20 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र खेदू राम गुप्ता नि० बहबर नगर थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 78 एफएन 1870 डीसीएम का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई जयराम उम्र 32 वर्ष की बोलेरो में को टक्कर मार देना जिससे मौके पर ही मृत्यु हो जाना तथा बोलेरो क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 249/20 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।